निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 863) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 168 दिनांक 22 जुलाई 2026––सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 138 की उपधारा (1) की कंडिका–(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अपराधों के शमन हेतु पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
1	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
2	उप श्रमायुक्त, गयाजी	गयाजी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
3	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
4	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
5	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
6	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
7	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
8	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
9	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
10	उप श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–160 / श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 169 एस० ओ० 168 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–161 / श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

SO 168 date 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 138 of the Code on Social Security, 2020 (Act No. 36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint officers specified in Column (2) of the table below as Compounding Officers for the purpose of compounding offences under the Code, within their respective jurisdictions, in respect of establishments situated within the areas specified in column (3) against them in the Schedule given below, for which the State Government is the appropriate Government.

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	**2**	**3**
1	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
2	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gayaji, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
3	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
4	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
5	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
6	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
7	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
8	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
9	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champarna
10	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/COSS-10-02/2025-160/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 863-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 862) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 166 दिनांक 22 जुलाई 2026—सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 136 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अध्याय XII के प्रयोजनार्थ सभी उप श्रमायुक्त, बिहार को उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्राधिकार नियुक्त करते हैं। जिन मामलों में उप श्रमायुक्त, संयुक्त श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त निरीक्षक–सह–सुकारक हैं, उन मामलों के लिए अभियोजन की स्वीकृति स्वयं के स्तर से दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–158 / श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 167 एस० ओ० 166 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–159 / श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

SO 166 date 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 136 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Deputy Labour Commissioner, Bihar, as the authority to grant sanction for prosecution in respect of establishments for which the State Government is the appropriate Government, for the purposes of Chapter XII of the Code. In cases where the Deputy Labour Commissioner, Joint Labour Commissioner, Additional Labour Commissioner and Labour Commissioner, Bihar is an Inspector-cum-Facilitator, the sanction for prosecution shall be granted at their own level.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/COSS-10-02/2025-158/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 862-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 861) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 164 दिनांक 22 जुलाई 2026––सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 122 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों, सभी श्रम अधीक्षक, सभी श्रम अधीक्षक (अधिनियम), सभी सहायक श्रमायुक्त, सभी उप श्रमायुक्त, सभी संयुक्त श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त एवं श्रमायुक्त, बिहार को निरीक्षक–सह–सुकारक नियुक्त करते हैं।

2. सभी निरीक्षक–सह–सुकारक अपनी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत संहिता के प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

3. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–156/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 165 एस० ओ० 164 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–157/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

SO 164 **date 22nd July 2026**— In exercise of the powers conferred by section 122 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint all Labour Enforcement Officers, all Labour Superintendents, all Labour Superintendents (Act), all Assistant Labour Commissioners, all Deputy Labour Commissioners, all Joint Labour Commissioners, Additional Labour Commissioners and Labour Commissioner, Bihar as Inspector-cum-Facilitators for the purposes of the Code.

2. All Inspector-cum-Facilitators shall exercise their powers in accordance with the provisions of the Code within the local limits of their jurisdiction.

3. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/COSS-10-02/2025-156/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 861-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 860) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 162 दिनांक 22 जुलाई 2026—सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 91 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के अध्याय VII के प्रयोजनार्थ निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, सभी उप श्रमायुक्त को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	**2**	**3**
1	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
2	उप श्रमायुक्त, गयाजी	गयाजी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
3	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
4	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
5	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
6	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
7	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
8	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
9	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
10	उप श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–154/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 163 एस० ओ० 162 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–155/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

SO 162 date 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by Section 91 of the Code on Social Security, 2020 (Act No. 36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint officers specified in Column (2) of the Table below as the Competent Authority for the purposes of Chapter VII of the Code, in respect of establishments situated within the areas specified in column (3) against them in the Schedule given below, for which the State Government is the appropriate Government.

Schedule

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
2	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gayaji, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
3	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
4	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
5	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
6	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
7	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
8	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
9	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champarna
10	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/COSS-10-02/2025-154/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 860-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 859) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 160 दिनांक 22 जुलाई 2026––सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ उपदान निर्धारण के लिए निम्न दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लेखित पदाधिकारियों को उनके सामने स्तम्भ 3 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए सक्षम प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	पदाधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	**2**	**3**
1	उप श्रमायुक्त, पटना	पटना, नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर
2	उप श्रमायुक्त, गयाजी	गयाजी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा
3	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई
4	उप श्रमायुक्त, बेगूसराय	बेगूसराय, खगड़िया,
5	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	भागलपुर, बांका
6	उप श्रमायुक्त, सहरसा	सहरसा, सुपौल, मधेपुरा
7	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, किशनगंज
8	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
9	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण
10	उप श्रमायुक्त, छपरा	सारण, सीवान, गोपालगंज

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–152/श्र०सं०)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 161 एस० ओ० 160 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–153/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

SO 160 date 22nd July 2026— In exercise of the powers conferred by Section 58 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint the officers specified in Column (2) of the Table below as the Competent Authority for the purpose of determination of gratuity under the Code, in respect of establishments situated in the areas specified against them in Column (3) of the said Table, for which the State Government is the appropriate Government.

Schedule

Sr. No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
1	Deputy Labour Commissioner, Patna	Patna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Kaimur, Buxar
2	Deputy Labour Commissioner, Gayaji	Gayaji, Aurangabad, Jehanabad, Arwal, Nawada
3	Deputy Labour Commissioner, Munger	Munger, Lakhisarai, Shekhpura, Jamui
4	Deputy Labour Commissioner, Begusarai	Begusarai, Khagaria
5	Deputy Labour Commissioner, Bhagalpur	Bhagalpur, Banka
6	Deputy Labour Commissioner, Saharsa	Saharsa, Supaul, Madhepura
7	Deputy Labour Commissioner, Purnia	Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj
8	Deputy Labour Commissioner, Darbhanga	Darbhanga, Madhubani, Samastipur
9	Deputy Labour Commissioner, Muzaffarpur	Muzaffarpur, Vaishali, Sitamarhi, Sheohar, East Champaran, West Champarna
10	Deputy Labour Commissioner, Saran	Saran, Siwan, Gopalganj

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/COSS-10-02/2025-152/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 859-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 858) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

एस० ओ० 158 दिनांक 22 जुलाई 2026––सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 56 की उपधारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल संहिता के प्रयोजनार्थ उन प्रतिष्ठानों के संबंध में, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, के लिए श्रमायुक्त, बिहार को अपीलीय प्राधिकार नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–150/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

21 जुलाई 2026

एस० ओ० 159 एस० ओ० 158 दिनांक 22 जुलाई 2026 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के (खण्ड) 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० 01/COSS-10-02/2025–151/श्र०सं०)
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के विशेष सचिव।

The 21st July 2026

SO 158 date 22nd July 2026—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 56 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Governor of Bihar is pleased to appoint the Labour Commissioner, Bihar, as the Appellate Authority for the purposes of the Code in respect of establishments for which the State Government is the appropriate Government.

2. This notification will come into force from the date of its publication in the Bihar Gazette.

(No. 01/COSS-10-02/2025-150/L.R.)
By The order of the Governor of Bihar,
Upendra Prasad,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 858-571+200-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in